

(37)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2009/पौष 16, 1930

No. 38]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2009/PAUSA 16, 1930

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2009

क्र.आ. 45(अ).—जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 (2008 का 19) के उप-खण्ड 6(2) के साथ पठित उप-खण्ड 5(1)(के) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तीन संसद सदस्यों को जिपमेर पुडुचेरी के संस्थान निकाय के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया गया है :-

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| (i) प्रोफेसर एम. रामादास | लोक सभा |
| (ii) श्रीमती के. रानी | लोक सभा |
| (ii) श्री बी. एस. ज्ञानदेसिकन | राज्य सभा |

[फा. सं. ए-12034/29/2008-एम.ई. (III)]

बी. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2008

S.O. 45(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 5(1)(k) read with sub-section 6(2) of the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008 (19 of 2008), the following three Members of Parliament have been elected to serve as members of the Institute Body of JIPMER, Puducherry :—

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| (i) Prof M. Ramadass | Lok Sabha |
| (ii) Smt. K. Rani | Lok Sabha |
| (iii) Shri B. S. Gnanadesikan | Rajya Sabha |

[F. No. A-12034/29/2008-ME (III)]

B. K. PRASAD, Jt. Secy.